

## राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

## RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942- सितम्बर 14, 2020 Bhadra 23, Monday, Saka 1942- September 14, 2020

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

#### विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

## जयपुर, सितम्बर 14, 2020

संख्या प.2(19)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

### राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 14)

(राज्यपाल महोदय की अन्मति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को निरसित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) अधिनियम, 2020 है।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- **2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 का निरसन.-** राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

विनोद कुमार भारवानी, प्रमुख शासन सचिव।

# LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II) NOTIFICATION Jaipur, September 14, 2020

**No. F. 2(19)Vidhi/2/2020.**- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan

Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vishes Nyayalaya (Nirsan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-

(Authorised English Translation)

#### THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS (REPEAL) ACT, 2020

(Act No. 14 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11<sup>th</sup> day of September, 2020)

An Act

to repeal the Rajasthan Special Courts Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Special Courts (Repeal) Act, 2020.
  - (2) It shall come into force at once.
- **2. Repeal of Rajasthan Act No. 38 of 2012.-** The Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012) is hereby repealed.

विनोद कुमार भारवानी, Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।